मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 (चैत्र 10, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 142 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 156 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2016 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
(1)	भारतीय स्टाम्प(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016)	30 मिनिट
(3)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016)	30 मिनिट
(4)	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016)	30 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. स्वागत उल्लेख

श्री गणेश सिंह, सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से स्वागत किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में सड़क यातायात व्यवस्थित किये जाने,
(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम ब्रिजिश नगर के हायर सेकेण्डरी स्कूल की हालत जर्जर होने,
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज एवं हनुमना में सूखा राहत राशि बंटवारे में अनियमितता होने
(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चम्बल संभाग में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक का पद एवं कार्यालय स्वीकृत करने,
(5) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी जिले में जलसंकट और सूखाग्रस्त होने,
(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य जिला मार्ग की हालत जर्जर होने,
(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर सहित पूरे मध्यप्रदेश में छोटे स्टाम्पों की किल्लत होने तथा
(8) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य ने छतरपुर जिले के सटई नगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

5. शून्यकाल में उल्लेख

(1) प्रदेश में भीषण पेयजल संकट पर चर्चा की मांग विषयक

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि "पूरे प्रदेश में भीषण पेयजल संकट है इसके लिए नियम 139 के अंतर्गत चर्चा तथा ध्यानाकर्षण सूचना भी लगाई है. सदन में चर्चा की जाए जिससे प्रदेश की जनता को जल संकट से निजात मिल सके.

(2) मध्यप्रदेश के पेंच टाईगर रिजर्व में शेरों की मृत्यु होने संबंधी ध्यानाकर्षण विषय पर चर्चा की मांग विषयक

सर्वश्री रामनिवास रावत एवं दिनेश राय, सदस्यगण द्वारा यह उल्लेख किया गया कि "मध्यप्रदेश के पेंच टाईगर रिजर्व में पिछले 1 वर्ष में 9 शेरों की मृत्यु हो गई है. टाईगर स्टेट होने के बावजूद प्रदेश सरकार उदासीन है एवं उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है. 28 मार्च, 2016 को एक बाघिन और उसके 2 शावक मरे मिले हैं. इस पर हमने ध्यानाकर्षण लगाया है."

(3) मध्यप्रदेश और हिन्दुस्तान के हज यात्रियों का कोटा कम कर दिये जाने विषयक

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "मध्यप्रदेश से और हिन्दुस्तान से हर वर्ष हज यात्री हज पर जाते है, लेकिन हर वर्ष उसका कोटा कम होता जा रहा है. ऐसी व्यवस्था करिए कि जितने लोगों ने हज के लिए आवेदन किया है उन सब को हज पर भेजने के लिए कोटा मिले."

(4) मध्यप्रदेश के डी.एड. विद्यार्थियों की परीक्षाएं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित नहीं किए जाने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "उच्च शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा के समय ध्यानआकर्षित किया था कि मध्यप्रदेश में डी.एड. के 15 हजार विद्यार्थियों ने आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमीशन लिया था और उनसे 2500 रूपये फीस लिये हुए 4 वर्ष हो गये हैं परन्तु उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं. "

(5) विधान सभा क्षेत्र पाटन एवं मझौली में भीषण पेयजल संकट होने से नल जल योजनाएं ठप्प पड़ने विषयक

श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "पाटन एवं मझौली विधान सभा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट के कारण अनेक गांवों में नल जल योजनाएं ठप्प पड़ी हैं किसानों को अपने मवेशियों तक को पानी पिलाने में भीषण दिक्कत आ रही है. नहरे बंद पड़ी हुई है. नदियों में पानी नहीं है. पूरे क्षेत्र में व्याप्त भीषण पेयजल संकट को सुलझाया जाये. "

(6) घंसौर क्षेत्र में बरेला प्लांट से ट्रकों के आने-जाने के कारण क्षेत्रीय सड़कें क्षतिग्रस्त होने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "मेरे क्षेत्र के घंसौर में बरेला प्लांट लगा हुआ है. प्रतिदिन 400 ट्रक वहां से कोयला ले जाया जा रहा है. जिससे क्षेत्रीय सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि तय यह हुआ था कि पावर प्लांट कंपनी पहले सड़क निर्माण करेगी उसके बाद कोयला वहां से ले जाया जायेगा. अत: अनुरोध है कि उस पर कार्रवाई करे.

6. ध्यानाकर्षण पर चर्चा की मांग को लेकर डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य द्वारा अधोवस्त्र अवस्था में सदन में प्रवेश करने पर, श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री के व्यवस्था के प्रश्न पर तथा श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा गर्भगृह प्रवेश पर अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. रामकिशोर दोगने, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य द्वारा अधोवस्त्र अवस्था में नारेबाजी करते हुए सदन में प्रवेश किया. सर्वश्री रामनिवास रावत, सुन्दरलाल तिवारी एवं कांग्रेस पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया कि मीडिया में आने के लिए इस तरह के सहारे लिये जाते हैं. यदि कोई समस्या है तो सदन के माध्यम से बात होनी चाहिए.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की शालीनता, महत्व और इतिहास देश में जाना जाता है. माननीय सदस्य अर्द्धनग्न अवस्था में सदन में आये जबकि यहां और दीर्घाओं में महिलाएं बैठी हुई हैं. माननीय सदस्य का यह असभ्य प्रदर्शन कतई जायज नहीं कहा जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि माननीय सदस्य डॉ. रामकिशोर दोगने किसी समस्या से पीड़ित होकर आयें हैं. किन्तु माननीय मंत्री ने जो विषय उठाया है, इससे मैं सहमत हूं. यह सदन बहस के लिये है, प्रदर्शन के लिये नहीं है. यहां मर्यादा में ही आना चाहिये, यह मेरा दृढ़ विश्वास है. श्री रामनिवास रावत ने जो कुछ कहा और पहले जो कुछ हुआ, वह कोई पूर्वोदाहरण नहीं मानना चाहिये. श्री सुन्दरलाल तिवारी से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर महात्मा गांधी जी को बीच में लाकर राजनीति मत करिये. सदन की कुछ मर्यादाएं होना चाहिये. यहां पर बहस और चर्चा के लिये आते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिये, जुबान से आते हैं, शरीर से नहीं. इसलिये यह प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिये. मेरा माननीय सदस्य से भी अनुरोध है कि आप कृपया मर्यादा में आयें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए एवं अध्यक्षीय निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए.

(सदन में व्यवधान होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न 12.25 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.45 बजे पुन: समवेत् की गई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में शवों का पोस्टमार्टम रात में न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य ने जबलपुर के भूकम्प पीड़ितों को दिये गये ऋण में ब्याज की छूट न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(2) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(3) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(4) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(5) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(6) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(7) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(8) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(9) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(10) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(11) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(12) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(14) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(15) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला- रीवा)
(16) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(17) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल)
(18) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(19) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(20) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(21) श्री घनश्याम पिरोनियां (जिला-दतिया)
(22) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मंदसौर)
(23) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(24) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(25) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(26) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(27) श्रीमती उमा देवी खटीक (जिला-दमोह)
(28) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(29) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(30) श्री आशीष गोविंद शर्मा (जिला-देवास)
(31) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(32) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(33) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(34) श्रीमती चंदा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(35) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(36) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(37) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(38) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)

9. मंत्री का वक्तव्य

शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन एवं परिसरों की पुर्नघनत्वीकरण योजना संबंधी श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण का वक्तव्य

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन एवं परिसरों की पुनर्घनत्वीकरण योजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी मार्गदर्शी निर्देश, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 को निरसित करते हुए नवीन मार्गदर्शी निर्देश राज्य शासन द्वारा अनुमोदित करने सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य दिया.

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

10. अध्यक्षीय घोषणा

(1) मध्यप्रदेश विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी में माननीय मंत्री/राज्यमंत्री एवं माननीय सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण विषयक
(2) विधान सभा भवन परिसर स्थित डोम क्षेत्र में प्रसिद्ध सिने कलाकार एवं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मनोज जोशी द्वारा ''चाणक्य'' नाटक का मंचन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु निम्नांकित सूचनाएं पढ़ी गई –

(1) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी में माननीय मंत्री/राज्यमंत्री एवं माननीय सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं 1 अप्रैल 2016 को प्रात: 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जा रहा है. कुछ जांचे खाली पेट भी की जावेगी. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाने का कष्ट करें.

(2) आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को सांय 6.30 बजे विधान सभा भवन परिसर स्थित डोम क्षेत्र में प्रसिद्ध सिने कलाकार एवं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मनोज जोशी द्वारा "चाणक्य" नाटक का मंचन किया जायेगा.

कार्यक्रम के पश्चात् परिसर स्थित लॉन में श्री गोपाल भार्गव, माननीय सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की ओर से रात्रि भोज भी आयोजित है.

अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दोनों कार्यक्रमों में पधारने का कष्ट करें.

(अपराह्न 1.05 से 3.07 बजे तक अन्तराल)
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 13 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) पर विचार किया जाए. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(3) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री जयंत मलैया ने संशोधन का प्रस्ताव किया कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाए.

खण्ड 3 में, उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"(दो) उपखण्ड (6) में, मद (दो) को मद (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित मद (तीन) के पहले निम्नलिखित मद अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(दो) उपखण्ड (1 क) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो कि ऐसे आगत कर की रकम या ऐसे विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन देय केन्द्रीय विक्रय कर की रकम, जो भी कम हो, के बराबर हो".

संशोधन स्वीकृत हुआ.
यथासंशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का अंग बना.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

12. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा श्री जयंत मलैया, वाणिज्य कर मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 में संशोधन के संबंध में कथन करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 4.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2016 (चैत्र 11, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 30 मार्च, 2016